

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/135 ✓

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थी वज	75/24	3/4/24	AMF 23/04/24	18/4/24

अनवान

श्री दीपक / प्रभुलाल शीणा

श्री शंकर / वीला बल्लभ

निवासी कामां

निवासी गणेशपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री भूपेठ व्यास

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

दीपक

बनाम

गौर

किस्म मुकदमा -

111-128

नम्बर

75

/2024


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए


3/4
/2024

प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/4/2024 को पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां


18/4/24

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध छ-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 23/04/24 को पेश हो।


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

23/4/24

पत्रावली पेश हुई। अद्यकता प्राची उपस्थित पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं विस्तृत आदेश अलग से लिखाए गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फंसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर हो।


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 75/24

तारीख दायर 03/04/24

1. दीपक कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कामां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. गोरू पिता घीसा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. अंकित खानपुरिया पिता राकेश जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी शास्त्रीनगर दादाबाडी कोटा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 23/04/24

प्रार्थना पत्र दीपक मीणा ने जरिये अभिभाषक श्री मनीष धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम काछीपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 19 पर अंकित आराजी संख्या 73 रकबा 0.1133हे0, आराजी संख्या 74 रकबा 0.8256 हे0, आराजी संख्या 75 रकबा 0.1781 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.1170 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काशतकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस ~~500~~ ^{रुपये} रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

उप खण्ड अधिकारी


.....निरन्तर पेज संख्या 2 पर

पेज संख्या 2

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम काछीपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 19 पर अंकित आराजी संख्या 73 रकबा 0.1133हे0, आराजी संख्या 74 रकबा 0.8256 हे0, आराजी संख्या 75 रकबा 0.1781 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.1170 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 75/24
प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर 03/04/24

विषय :- प्रकरण संख्या 75/24 पत्थरगढी बाबत।

1. दीपक कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी
कामां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. गोरू पिता घीसा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा
तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. अंकित खानपुरिया पिता राकेश जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी
शास्त्रीनगर दादाबाडी कोटा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम काछीपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 19 पर अंकित आराजी संख्या 73 रकबा 0.1133 हे0, आराजी संख्या 74 रकबा 0.8256 हे0, आराजी संख्या 75 रकबा 0.1781 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.1170 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा